न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू
पीठासीन अधिकारी :— श्री विजेन्द्रसिंह R.A.S.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
51/2024	111, 128 LRA	19.12.2024	24.04.2025

1. कुन्तेश शर्मा पुत्र बालकिशन जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
2. दीपीका शर्मा पत्नी कुन्तेश जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
3. शकुन्तला शर्मा पत्नी बालकिशन जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
4. अनिलकुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जैन निवासी जयपुर जरिये मुख्तयार खास बालकिशन पुत्र स्व माधोप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी चूरू
5. संजय कुमार पुत्र बिमल कुमार जाति जैन निवासी जयपुर जरिए मुख्तयार खास बालकिशन पुत्र स्व. माधोप्रकसाद जाति ब्राह्मण निवासी चूरू

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

— अप्रार्थी—

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डुडी प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1. कृषि भूमि ख.नं. 202 तादादी 24.9640 हेक्टेयर ख.नं. 36 तादादी 2.7316 हेक्टेयर रोही मौजा रामपूरा पट्टा झारिया तहसील चूरू पटवार हल्का खींवासर तहसील चूरू जिला चूरू में स्थित है, जिसमें प्रत्येक कृषक का 1/5—1/5 भाग है, इस कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है।

2.यह कि प्रार्थीगण संख्या 4 व 5 ने बालकृष्ण पुत्र स्व. माधोप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी चूरू को मुख्तयारनमा खास दिनांकित के जरिये ... 2024 को सबरजिस्ट्रार नागालैंड से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:55 IST
Reason: SelfAttested

तस्दीक सुदा है, वहां से ऊपर वर्णित कृषि भूमि की रेखा व अन्य अवशेषों के निश्पाद का अधिकार दे दिया गया हैमुख्तयारनामा खास दिनाकित 12.07.2024 की फोटो प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है यही कृषि भूमि वादगत व प्रार्थना पत्र से संबंधित है

3.यह है कि प्रार्थीगण की ओर से उपर उल्लिखित कृषि भूमियो की पेमाइश (नपती) के लिए अप्रार्थी के समक्ष एक प्रार्थना प्रस्तुत की गई थी, जिसे मौका पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में जरीब चलाकर निशानदेही दी गई थी, तो प्रार्थीगण की वादगत कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित रकबा से कम हुई तब प्रार्थी ने कहा था कि हमारी भूमि किस तरफ से कटी दबी हुई है इस पर हल्का पटवारी ने कहा कि पथरगढ़ी व सीमाकंन करवाने के ऑर्डर के बिना यह बताने के लिए अधिकारिक व सक्षम नहीं हूं किस किस तरफ से कितनी जमीन दबी हुई है। मैं निशानदेही दिए जाने की रिपोर्ट तहसीलदार जी को कर देता हूं आप उस रिपोर्ट की नकल लेकर सक्षम न्यायालय में पत्थरगढी व सीमांकन करवाने की कार्यवाही करो इस पर प्रार्थीगण की ओर से अपनी उपर वर्णित कृषि भूमि पर पत्थरगढी व सीमांकन करवने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

4. यह कि प्रार्थीण की कृषि भूमि के चिपती सड़क लगती है गोचर भूमि लगती है अन्य खातेदारान की कृषि भूमिया लगती है प्रार्थीगण के खेत पड़ोसियों के साथ खेत की सीमाओं को लेकर काश्त के समय मनमुटाव हो जाता है प्रार्थीगण शान्ति प्रिय व्यक्ति है जो विधिवत रूप से अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का नियमानुसार पत्थर गढी करवाकर सीमांकन करवाना चाहते है ताकि भविष्य में खेत पड़ौसियों के साथ वगौचर भूमि को लेकर गांव वालो के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश किया जा रहा है। भविष्य

5. यह कि प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार है इसलिए प्रार्थीगण को इस प्रार्थना पत्र के प्रति धारार प्राप्त है तथा हल्का पटवारी के द्वारा दिनांकित 02.12.2024 को कहने से कि आपकी (प्रार्थीगण की) किस किस तरफ से कितनी कितनी भूमि दबी हुई है मै बिना सक्षम न्यायालय के पत्थरगढी व सीमांकन करवाने के आदेश के बिना सक्षम व अधिकृत नहीं हूं हल्का पटवारी की इन्कारी की तिथि से प्रार्थीगण को इस प्रार्थना पत्र के प्रति कारण प्राप्त है।

6. यह प्रार्थना पत्र संबंधित वादगत कृषि भूमि श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इस प्रार्थना पत्र के प्रति श्रीमानजी को हर प्रकारसे श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है प्रार्थना–पत्र उचित कोर्टफीस पर अन्दरमियाद प्रस्तुत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:55 IST
Reason: SelfAttested

7यह कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी के पावर व पजेशन में है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की सूरत में मुताबिक आदेश के प्रार्थीगण के उपर वर्णित कृषि भूमि की सीमाओं पर पत्थरगढी व सीमांकन का कार्य अप्रार्थी के द्वारा किया जाना है अप्रार्थी ही भूमि के लैण्ड होल्डर है इसलिए अप्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बतौर अप्रार्थी बनाया गया है इसलिए अप्रार्थी को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिए बिना यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

8यह कि पत्थरगढी व सीमांकन में लगने वाला समस्त खर्च प्रार्थीगण वहन करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख. नं. 202 तादादी 24.9640 हैक्टेयर, ख.नं. 36 तादादी 2.7316 हैक्टेयर रोही मौजा रामपुरा पट्टा झारिया पटवार हल्का खींवासर तहसील व जिला चूरू की अप्रार्थी से टीम गठीत करवाई जाकर पुख्ता पत्थरगढी व सीमांकन करवाये जाने के आदेश फरमावे आपकी बड़ी कृपा होगी।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपने खातेदारी की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाता है तो किसी भी प्रकार का राजहित प्रभावित होने की संभावना नहीं है जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्राथन–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया । बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि का सीमांकन किया गया है। संलग्न जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना–पत्र व प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन से

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना प्रस्तुत की है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार व काश्तकार हैं, जो मौजा रामपुरा पट्टा झारिया, तहसील चूरू में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उनकी खातेदारी भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाई जाए क्योंकि मौके पर की गई नपती में भूमि कम पाई गई है। हल्का पटवारी ने यह कार्य बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के करने से मना कर दिया है। खेतों की ... स्पष्ट न होने से विवाद की आशंका बनी रहती है। प्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति हैं ... किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहते। सभी आवश्यक दस्तावेज एवं मुख्तयारनामा संलग्न किए गए हैं। प्रकरण पर बहस के दौरान, अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:55 IST
Reason: SelfAttested

AW

की ओर से भी यह निवेदन किया गया कि पत्थरगढी से किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होगा, जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य पक्ष की ओर से भी आपत्ति नहीं है। धारा 111: किसी भूमि की सीमा पर विवाद होने या स्पष्टता की आवश्यकता होने पर सीमांकन किया जा सकता है। धारा 128: राजस्व अधिकारी को सीमांकन व पत्थरगढी के लिए कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान करता है। वादग्रस्त कृषि भूमि की सीमाएं विवादास्पद नहीं हैं किंतु अस्पष्ट हैं, जिससे भविष्य में विवाद की आशंका है। सीमांकन की मांग धारा 111 व 128 के अनुरूप है। प्रार्थीगण खातेदार हैं, भूमि पर उनका वैध कब्जा है एवं वे समस्त खर्च वहन करने को तैयार हैं। राज्य की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से किसी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया तहसील चूरू के खसरा नं. 202 तादादी 24.9640 व खसरा नम्बर 36 तादादी 2.3716 हैक्टेयर कृषि भूमि के सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर प्रार्थी एवं पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(विजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:55 IST
Reason: SelfAttested